



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 1984/फाल्गुन 15, 1905
No. 98] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 1984/PHALGUNA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1984

का.जा. 149(अ).—केन्द्रीय सरकार, इन्वेंचक टायर्स लिमिटेड और नेशनल
रबर मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का 4) की धारा
7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती
है कि इनचेंक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड के उपक्रम
जिन्हें उक्त अध्यादेश की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यमान सरकारी
कम्पनी, अर्थात् एं.डू.यूस.एंड.कम्पनी, कलकत्ता में निहित किए जाने के लिए
निर्देश किया गया है, नई सरकारी कम्पनी, अर्थात्, टायर कारपोरेशन आफ इंडिया

1523 GI/93

(1)

लिमिटेड, कलकत्ता में तारीख 5 मार्च, 1984 को अंतरित किए जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे।

[सं 2/20/80-एल.आर.]

ए. पी. सरवान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 1984

S.O. 149(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 7 of the Inchek Tyres Limited and National Rubber Manufacturers Limited (Nationalisation) Ordinance, 1984 (4 of 1984), the Central Government hereby declares that the undertakings of the Inchek Tyres Limited and National Rubber Manufacturers Limited which have been directed, under subsection (1) of section 6 of the said Ordinance to vest in an existing Government company namely, Andrew Yule and Company, Calcutta, be transferred to and vest in a new Government company, namely, Tyre Corporation of India Limited, Calcutta from the 5th day of March, 1984.

[No. 2/20/80-LR]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.